

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-2/20-3/2006

भोपाल, दिनांक 7/9/07

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0 भोपाल।

विषय :- सी.बी.एस.ई./आइ.सी.एस.ई.सम्बद्धता हेतु अशासकीय विद्यालयों के पक्ष में राज्य शासन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

0000

सी.बी.एस.ई./आइ.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के पक्ष में राज्य शासन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण के

संबंध में निर्देश दिनांक 06-09-2007 को जारी किये जा चुके हैं, जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित

कृपया सर्वसंबंधितों को निर्देश की प्रति भेजते हुए पालन प्रतिवेदन के साथ 25

प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ए. एस. पगारे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

3684
12-9

E & other Table
18/9/07

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ मदन, भोपाल-462004

क्र. शा.सं. 15-72/20-3/2007

भा. प्र. दि. नं. 15-72/20-3/2007

प्रति

सं. 15-72/20-3/2007
लोक शिक्षण संचालनालय,
म0प्र0 भोपाल ।

2
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश ।

3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

4
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. सम्बद्धता हेतु प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के पक्ष में राज्य शासन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

---0000---

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों/संस्थाओं को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु संस्था के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब संस्थाओं के द्वारा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अपना आवेदन सीधे आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0, गौतम नगर, (एम.पी.नगर के पास) भोपाल को प्रस्तुत किया जावेगा। संस्था द्वारा अपने आवेदन के साथ सी.बी.एस.ई. को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र में जानकारी (दो प्रतियों में) एवं शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन हेतु नोटरी के समक्ष अभिप्रमाणित शपथ-पत्र की एक मूल प्रति एवं एक छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी। संचालनालय द्वारा आवेदन पत्र एवं मूल शपथ-पत्र की एक प्रति एकल नस्ती में अपने अभिमत के साथ स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

3/ संचालनालय द्वारा परीक्षण उपरांत प्रस्ताव यथासंभव तीन दिवस के भीतर विभाग को प्रेषित किया जाएगा अथवा आवेदन में यदि कोई कमी हो तो आवेदक को कमी दूर करने हेतु सूचित किया जायेगा।

नोट :- आवेदन-पत्र एवं समस्त दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय होंगे।

संलग्न :- (1) संस्था/विद्यालय द्वारा आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत
किए जाने वाले आवेदन-पत्र का प्रारूप।

(2) इस विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के
पालन हेतु संस्था के अध्यक्ष/सचिव
द्वारा नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले
शपथ-पत्र का प्रारूप।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(ए.एस.पगारे)
अवर सचिव

म0प्र0.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

शिक्षणसंचालनालय
नगर (एम.पी.नगर के पास)
नौमाल ।

विषय :- सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र।

-----0000-----

महोदय,

निवेदन है कि अशासकीय संस्था/विद्यालय(संस्था का नाम).....
..... वर्ष से संचालित है । संस्था में वर्तमान
में कक्षा से कक्षा तक अध्यापन कार्य कराया जाता है।
संस्था/ विद्यालय द्वारा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.सम्बद्धता हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
नई दिल्ली/आई.सी.एस.ई./अन्य बोर्ड से सम्बद्धता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ
एवं मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक 73-2/2007/20-3 दिनांक-
06-09-2007 के साथ निर्धारित शर्तों के पालन हेतु नोटरी के समक्ष अभिप्रमाणित शपथ-पत्र
की एक मूलप्रति एवं एक छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया शासन से शीघ्र अनापत्ति दिलाये जाने हेतु अनुरोध है।

कृपया की गई कार्यवाही से संस्था/विद्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


संलग्न :-

1. सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./अन्य बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र दो प्रतियों में।
2. शपथ-पत्र (एक मूल प्रति एवं छायाप्रति)

हस्ता.

(नाम).....

अध्यक्ष/सचिव
संस्था की सील


6.9.07

शपथ पत्र

मैं

आयु

पिता का नाम

संस्था का नाम

निवासी

/संस्था/समिति के अध्यक्ष/सचिव के पद पर पदस्थ

हूँ। मैं संस्था द्वारा संचालित (शाला का नाम)

को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड

से सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि संस्था द्वारा

संचालित विद्यालय (विद्यालय का नाम)

को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त होने पर संस्था/समिति/विद्यालय निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध होगी :-

- (1) विद्यालय में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./अन्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति सदैव सुनिश्चित की जावेगी।
- (2) संस्था एवं विद्यालय के द्वारा राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (3) राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी से अनिम्नस्तर के अधिकारी को संस्था का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) संस्था की प्रबंध समिति में संबंधित जिले के "जिला शिक्षा अधिकारी" अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी को सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा।

शपथकर्ता

नाम

अध्यक्ष/सचिव

सत्यापन

आत्मज

निवासी

सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कड़िका क्रमांक 1 से 4 तक एवं सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./अन्य बोर्ड से सम्बद्धता हेतु संस्था/समिति/विद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु क्रमांक _____ से _____ तक में दी गई जानकारी एवं विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य एवं सही है।

स्थान

दिनांक

शपथकर्ता

नाम

अध्यक्ष/सचिव

(यह शपथ-पत्र नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे)

[Handwritten signature and date]